

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 73/2018

1- नत्थु सिंह पुत्र मदन सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा तहसील
लाडनूं जिला नागौर

.....अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०

.....रेस्पोजेन्ट

उपरिथत अधिवक्ता-

1-श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुडी अधिवक्ता अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का,
सुनारी बनाम नत्थु सिंह मु० नं० 56/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.

एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक : 23.01.2019

अपीलान्त की ओर से निम्न अपील पेश है :-

यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी न
दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी नत्थु सिंह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)




श्री नत्थु सिंह जाति राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा खसरा नम्बर 304 रकबा 00.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि पर अतिक्रमण व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा नत्थु सिंह अतिक्रमणित भूमि से वेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर अक्र अक्र अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भांति अध्ययन एवम् अवलोकन किया, ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गैर मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि पर नत्थु सिंह पुत्र श्री मदनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि नत्थुसिंह पुत्र श्री मदनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किये जाने पर रा0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू में मु0 न0 56/2018 दर्ज कर नियमानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम नत्थुसिंह) में अतिक्रमी माना जाकर वेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रुपये का 50 गुणा जुर्माना 06 रूपये के आदेश पारित किये हैं।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं0 304 किस्म गैर मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि से वेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:-

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



—: अपील के आधार :-

1. उक्त अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

2. उक्त अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के बिना निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3. उक्त योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के बिना न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

4. उक्त योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किम्वदंत अपीलान्त/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, अतः निर्णय अधिन अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनू द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी को हस्ताक्षर करवाये गये हैं, अतः कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, उक्त स्थान पर अपीलान्त के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बन चुके हैं, तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा उक्त खसरा संख्या 304 में अगवादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आवादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साक्षिक



अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डवाना (नागौर)

अपीलकर्ता का कहना है कि वह रहवास करते आ रहे हैं। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय को अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलकर्ता द्वारा खसरे नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी मकानात के अलावा अन्य कोई मकानात में विजली पानी जैसी सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए भी संबंधित विभागों से ले रखे हैं। जिससे भी अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलकर्ता का दावा है कि उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई मकानात जयगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को नुकसान का कारण के ही बेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की मेहनत से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फोड़ कर अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने को मजबूर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई भी आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कारणों के कारण नुकसान झोप किया जाना न्याय हित में है।

अपीलकर्ता पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक के तुरन्त तौर पर अतिकमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्त के विरुद्ध धारा 133 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की है, जो मौके पर बिना कोई नाप चौक से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावेगा।

अपीलकर्ता पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया गया है। इस कारण अपीलार्थी निर्णय अपास्त नहीं किया जावेगा।

अपील अन्य उजरत वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सीवना (लाडनू)


है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर
न पड़ा है

अतः अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है
कि दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व
निरस्त फरमाये जाने की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की
गई जो दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पोंडेन्ट को जरिये
नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय
तहसीलदार लाडनू द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो
शामिल मिसल किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर
उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा
ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.05 बीघा
गैर मु0 गोचर पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने
पर अपीलार्थी को न्यायालय नाथब तहसीलदार लाडनू द्वारा अधिकमी घोषित
कर भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम
1956 के तहत जुर्माना रूपये 06/- अक्षरें रूपये छः का अर्थदण्ड आरांभित
किया गया तथा बेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नाथब तहसीलदार लाडनू को दिया
अपना जवाब में बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया गया है तथा
मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजो के समय से बने हुवे है तथा
दिजली पानी कनेक्शन भी ले रखे है। तथा आबादी विस्तार के लिये जिरवा
कलक्टर नागौर से भी आबादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन
किया हुआ है।




जुज (अधीनस्थ) न्यायालय
नाथब तहसीलदार

गोचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर. का अन्वय के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है तथा न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा जारी किया जा सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा अग्रसर नहीं किया गया है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.9.2018 को अग्रसर किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध प0ह0 सुनारी व भू0अ0नि0 की, रिपोर्ट दिनांक 5.07.18 में भी नत्थुसिंह पुत्र मदनसिंह को गोचर भूमि पर मकान व धिदार बनाने पर अतिक्रमी बताया गया है। तथा मुतनाजा भूमि आबादी के अन्तर्गत भूमि से बाहर खसरा संख्या 304 किस्म गै0मु0 गोचर में स्थिति बताया है। अतः अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

∴ आ दे श ∴

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।



(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)